बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
कार्जो: उमाकान्त शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत तूंगा पं.स.बस्सी मो 9799111667	10.5.18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट तूंगा मे पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत तूंगा ने की है। वादी ने हस्ताक्षर नही किये एवं प्रतिवादी सं. 8/1 ने हस्ताक्षर किये और शेष प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर नही किये। वादी एवं प्रतिवादी को वाद पत्र पर सुना गया। कैम्प कोर्ट मे तहसीलदार बस्सी से रिकार्ड का अवलोकन किया पत्रावली का अवलोकन एवं वादी व प्रतिवादी को वादपत्र पर सुनने एवं तहसीलदार बस्सी से मौके पर कैम्प कोर्ट मे रिकार्ड का अवलोकन एवं लोक अदालत हेतु गठीत कमेटी के निर्णयानुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1964 रकबा 0.09 हैक्टर स्थित ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर की भूमि अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि है। उक्त भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज नही है अतः अन्य व्यक्ति की खातेदारी की भूमि कि किस्म परिवर्तन कराने का अधिकार वादीगण को नही है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे वादीगण को चाही गयी रिलिफ दिया जाना न्यायोचित नही है। उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे सह खातेदारो को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही समझते है। अतः वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे वादीगण का वाद विधि की मंशा के अनुकुल नही होने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। आज दिनांक 10.05.2018 को यह निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट तूंगा मे मजमे आम मे सुनाया गया 10.5.18 सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजार.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. नन्दलाल पुत्र कल्याण
2. छाजूलाल पुत्र कल्याण
3. हनुमान पुत्र छोटूलाल
4. प्रभु पुत्र छोटूलाल
5. प्रकाश
6. जयेश पुत्रान स्व. गोपाल नाबालिग जरिये माता संरक्षिका रामोती बेवा स्व. गोपाल
7. रामोती बेवा स्व. गोपाल समस्त जाति माली निवासी ग्राम तूंगा जोशी वाली ढाणी तह. बस्सी।

बनाम

1. पप्पू
2. राजेश पुत्रान स्व. जगदीश
3. राकेश
4. राजेश
5. महेश पुत्रान स्व. रामजीलाल नाबालिग जरिये माता रामा बेवा रामजीलाल
6. रामा बेवा रामजीलाल
7. घासी पुत्र छोटू समस्त जाति माली निवासी ग्राम तूंगा ढाणी जोशीवाली, तह. बस्सी।
8. गोकुल पुत्र धन्ना जाति माली निवासी ग्राम तूंगा ढाणी जोशीवाली, तह. बस्सी।(दौराने दावा फौत)

8/1 कजोड पुत्र स्व. गोकुल
8/2 गुल्ली बेवा गोकुल

9. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तह. बस्सी।
10. उपपंजीयक बस्सी, तह. बस्सी।
11. ग्राम पंचायत तूंगा जरिये सरपंच तह. बस्सी।

दावा घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक 10.05.2018

मुकदमा नम्बर 43/14

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1964 रकबा 0.09 ऐयर स्थित ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर की भूमि अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि है। उक्त भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज नहीं है। अतः अन्य व्यक्ति की खातेदारी की भूमि की किस्म परिवर्तन कराने का अधिकार वादीगण को नहीं है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीगण को चाही गयी रिलिफ दिया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में सहखातेदारों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीगण का वाद विधि की मंशा के अनुकुल नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

......................निजी.................मुबलिक......................बाबत..खर्चा इस मुकदमें ....को अदा का मय सूद वगैरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 10.05.2018 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त.......................... 10.5.18

ओहदा..........................

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

contd...

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस			फीस		
कमिश्नर			कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी